तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/6139/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम राजूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिह, उप राजकीय अधिवक्ता।

अप्रार्थी व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित

—

आदेश

दिनांकः— 13.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 24—05—2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है ।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, गंगापुर सिटी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि ग्राम किशोरपुर की बंदोबस्त् खतौनी संवत् 2003 की आराजी खसरा संख्या 2009 रकबा 110 बीघा 17 बिस्वा व एकीकरण खतौनी संवत् 2019 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने नवीन खसरा संख्या 688 रकबा 0 बीघा 17 बिस्वा, किस्म गै0मु0 तालाब सिवायचक के रूप में अभिलिखित थी तथा मिलान क्षेत्रफल हाल बंदोबस्त् संवत् 2039 के अनुसार उक्त खसरा नंबरान के नवीन खसरा संख्या 2409 रकबा 0.21 है0 बने है। उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धार 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 एवं राज0 भू—राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन), नियम 1970 के नियम 4(1) के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। किन्तु भू—प्रबंध विभाग ने बिना किसी आदेश के उक्त भूमि खसरा संख्या 2409 रकबा 0.21 है0 का नामांतकरण संख्या 263 दिनांक 25.06.02 अप्रार्थी सेज्या के पक्ष में तस्दीक कर खातेदारी में दर्ज कर दी। चूंकि आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर आवंटन नियम विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। चूंकि उक्त भूमि पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम सरकार होकर किस्म गै0मु0 तालाब होना दर्ज थी, इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी में दर्ज योग्य नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/6139/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम राजूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। जिस पर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म अंगोर/नदी/नाला/तालाब/तलाई के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी की किस्म अप्रार्थी को खातेदारी दिए जाने से पूर्व गै0मु0 तालाब थी तथा ऐसी भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण खातेदारी दिए जाने योग्य नहीं थी किन्तु गलत रूप से खातेदारी दे दी गई है, जो अवैध है। ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर आवंटन नियम विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। आवंटित भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज नहीं हो सकती है। चूंकि उक्त भूमि पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम सरकार होकर किस्म गै0मु0तालाब होना दर्ज थी, इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी में दर्ज योग्य नहीं थी। यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबंध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्देशों की पालना में पुनः पूर्व की स्थिति बहाल की जानी आवश्यक है। ऐसी भूमि पर अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावें तथा भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0 तालाब के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूँकि राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबंदी संवत् 2003 के अनुसार विवादित आराजी का बिलानाम सरकार किस्म गै.मु. तालाब के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/6139/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम राजूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार अंगोर, नदी, नाले, तालाबी, तलाई किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, पाल, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/6139/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम राजूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि की किस्म गै.मु. तालाब खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। परिणामतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 24.05.2006 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम किशोरपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 2009 रकबा 110 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 तालाब जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2409 रकबा 0.21 है0 का है का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/ पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी तथा इसकी पालना में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 263 तथा विरासतन नामांतकरण संख्या 306 दिनांक 18.05.05 को निरस्त किया जाता है तथा इसके पश्चात् भी स्वीकृत किए गए समस्त इंद्राजों को निरस्त किया जाता है तथा भूमि पूर्ववत् किस्म गै0मु0 तालाब के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	